राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1739/2025

अमिता रानी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, आयुष विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, आयुष भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, निदेशालय, आयुर्वेदिक चिकित्सा विभाग, जयपुर।
4. डॉ मुकेश कुमार नागर, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, पीएचसी, सुंदलक जिला बांरा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.01.2025
आदेश की दिनांक : 12.03.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी द्वारा संशोधित अपील प्रस्तुत कर रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया। आवेदन स्वीकार कर संशोधित अपील रिकार्ड पर ली गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पीएचसी सुंदलक, बांरा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय आयुर्वेद औषधालय, मोतीपुरा बांरा में निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के स्थान पर किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है। स्थानान्तरण आदेश में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 116 एवं निजी प्रत्यर्थी का नाम क्रम संख्या 104 पर अंकित है। उक्त आदेश की पालना में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.01.2025 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.01.2025 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पीएचसी सुंदलक, बारां से राजकीय आयुर्वेद औषधालय, मोतीपुरा बारां में किया गया जिसमें अपीलार्थी का

नाम क्रम संख्या 112 पर अंकित है एवं निजी प्रत्यर्थी का नाम क्रम संख्या 111 पर है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 16.01.2025 के द्वारा कार्यमुक्त किया गया एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण 15.01.2025 के द्वारा जारी किया गया, जिसमें आदेश क्रमांक अलग–अलग है। इससे पूर्व प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.03.2024 (अनुलग्नक–4) द्वारा शैक्षणिक स्टाफ की पूर्ति हेतु अपीलार्थी को कार्यव्यवस्थार्थ राजकीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय कोटा में पदस्थापित किया गया था। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 15.03.2024 को कार्यग्रहण कर लिया था (अनुलग्नक–5)। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 29.01.2025 (अनुलग्नक–6) को अन्य आदेश जारी कर शैक्षणिक स्टाफ की पूर्ति हेतु अन्य चिकित्सकों को महाविद्यालय में पदस्थापित कर दिया। अपीलार्थी का पदस्थापन स्थान गलत अंकित कर आलौच्य आदेश जारी किया गया है। अपीलार्थी प्रतिनियुक्ति पर कोटा महाविद्यालय में पदस्थापित है। निजी प्रत्यर्थी चिकित्सा अधिकारी है आलौच्य आदेश में उसे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी–ा दर्शाते हुए स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण 8 माह की अल्पावधि में निजी प्रत्यर्थी को समंजित करने के उदेश्य से किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने डॉ. अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश में किसी कार्मिक का समंजित करने के आशय से जारी किये गये स्थानान्तरण आदेश को अनुचित एवं अवैध माना है। आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 में निजी प्रत्यर्थी को को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी दर्शाया गया है जबकि निजी प्रत्यर्थी चिकित्सा अधिकारी है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का आलोच्य आदेश में गलत पदस्थापन दर्शाया है। जो राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश नरेश कोली बनाम राजस्थान राज्य के विपरीत जाकर आलोच्य आदेश जारी किया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 17.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को पीएचसी सुंदलक, जिला बारां में ही पदस्थापित रखे जाने के आदेश प्रदान किए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि आलोच्य आदेश लोकहित में जारी किया गया है। इसलिए प्रत्यर्थी विभाग की कार्यवाही नियमानुसार है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 17.01.2025 के विरूद्ध अनुतोष

चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पीएचसी सुंदलक जिला बारां से राजकीय आयुर्वेद औषधालय, मोतीपुरा बांरा किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलौच्य आदेश में अपीलार्थी का पदस्थापन स्थान गलत अंकित है, अपीलार्थी वर्तमान में आयुर्वेद महाविद्यालय कोटा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। जबकि अपील में अपीलार्थी ने अपना वर्तमान पदस्थापन पीएचसी सुंदलक बताते हुए पीएचसी सुंदलक में ही रखे जाने का अनुतोष चाहा है। आलौच्य आदेश में भी वर्तमान पदस्थापन स्थान पीएचसी सुंदलक अंकित है। अतः हम अपीलार्थी की तरफ से दिए गए तर्कों में विरोधाभास पाते है। अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश में निजी प्रत्यर्थी से समंजन किया गया हो ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर स्पष्ट नहीं होता है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण बांरा जिले में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया गया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने कार्मिक की सेवाएं कब और कहां लेवे। अपीलार्थी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन देने के लिए सदैव स्वतंत्र है।

आलौच्य आदेश में कोई दुर्भावना निहित होना या नियम विरूद्धता होना नहीं पाये जाने के कारण अपील अपीलार्थी इसी प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)